2024(4) eILR(PAT) HC 15

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या- 1466 /2018

1.	 चंद्रशेखर शर्मा, स्वर्गीय राम दास सिंह के पुत्र, गाँव-कोरियावन, पी. ओ. हंसडीह, पी. एस. मसौरी, जिला-पटना के निवासी।
2.	अशोक कुमार, ग्राम-कोरियावन के निवासी चंद्र शेखर शर्मा के पुत्र, पी. ओ. हंसडीह, पी. एस. मसौरी, जिला-पटना।
3.	राजेश कुमार, ग्राम–कोरियावन के निवासी चंद्र शेखर शर्मा के पुत्र, पी. ओ. हंसडीह, पी. एस. मसौरी, जिला–पटना।
4.	राजीव रंजन कुमार, ग्राम–कोरियावन के निवासी चंद्र शेखर शर्मा के पुत्र, पी. ओ. हंसडीह, पी. एस. मसौरी, जिला–पटना।
5.	त्रिशूल सिंह @त्रिशूल शर्मा, स्वर्गीय राम सेवा सिंह के पुत्र, गाँव-कोरियावन के निवासी, पी. ओ. हंसडीह, पी. एस. मसौरी, जिला-पटना।
6.	त्रिपुंड कुमार, पुत्र त्रिशूल सिंह @ त्रिशूल शर्मा, निवासी गाँव-कोरियावन, पी. ओ. हंसडीह, पी. एस. मसौरी, जिला-पटना।
7.	शशि कुमार, त्रिशूल सिंह का नाबालिग बेटा @ त्रिशूल शर्मा अपने पिता याचिकाकर्ता नं. 5–त्रिशूल सिंह @ त्रिशूल शर्मा, गाँव–कोरियावन, पी. ओ. हंसडीह, पी. एस. मसौरी, जिला–पटना के निवासी।
	याचिकाकर्ताओं
	बनाम्
	सरोज सिंह, स्वर्गीय श्याम नंदन सिंह के पुत्र, गांव-सोनकुकुरा, पी. ओ. और पी. एस. मसौरी, ग-पटना के निवासी।
2. र्	नुधांशु कुमार, गांव–सोनकुकुरा, पी. ओ. और पी. एस. मसौरी, जिला–पटना के निवासी।
3. गुं	jजन कुमार, गांव–सोनकुकुरा, पी. ओ. और पी. एस. मसौरी, जिला–पटना के निवासी।
_	अरुण सिंह, स्वर्गीय राम स्वागत शर्मा के पुत्र, गांव-सोनकुकुरा, पी. ओ. और पी. एस. मसौरी, 11–पटना के निवासी।
	राकेश कुमार, अरुण सिंह के पुत्र, गाँव–सोनकुकुरा, पी. ओ. और पी. एस. मसौरी, जिला–पटना के ासी हैं।
6. ਜ੍ ਧਟਜ	मुकेश कुमार, पुत्र अरुण सिंह, निवासी गाँव–सोनकुकुरा, पी. ओ. और पी. एस. मसौरी, जिला– ॥।
	उत्तरदात

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता के लिए : सत्येंद्र नारायण सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीओं के अधिवक्ता : कोई नहीं।

भारत का संविधान – अनुच्छेद 227 – सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – धारा 11 – प्रारंभिक मुद्दे के रूप में न्यायिक निर्णय और सीमा – रेस ज्यूडिकाटा (पुन:न्याय) – खारिज – एक मामले में अधिकार क्षेत्र का सवाल उन तथ्यों के प्रमाण पर भी निर्भर करता है जो विवादित है और कानून के सवाल को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं कि जा सकती – न्याय और सीमा के प्रश्न को कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न के रूप में माना जाना चाहिए, न कि केवल कानून का प्रश्न के रूप में – (आदेश में कोई भी क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है –) आवेदन खारिज–

(पारा 9 से 11)

ए.आई.आर 2022 एस.सी 5058 ; 2023 (1) बी.एल.जे एस.सी 109 ; 1966 बी.एल.जे.आर 1 **एक्स** (सावधानी दे एक्स के लिए) ; 1990 (1) बी.एल.जे 161 ; (2022) 7 एस.सी.सी 644 ; (2020) 6 एस.सी.सी 557 — संदर्भित किया गया।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

कोरमःमाननीय जस्टिस अरुण कुमार झा कैव जजमेंट

तारीख:10-04-2024

1. तत्काल याचिका अनुच्छेद 227 पटना उच्च न्यायालय नागरिक विविध के तहत दायर की गई है। शीर्षक विभाजन वाद संख्या 437/2012 में विद्वान सिविल न्यायाधीश (विरष्ठ प्रभाग) 3, पटना द्वारा पारित दिनांक 31.05.2018 के आदेश को दरिकनार करने के लिए भारत के संविधान की धारा, जिसके तहत प्रतिवादी—याचिकाकर्ताओं की 04.05.2017 की याचिका को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में न्यायिक निर्णय और सीमा के मुद्दे पर निर्णय लेने की प्रार्थना के साथ खारिज कर दिया गया है।

02. संक्षेप में कहा गया है कि अभिलेख से जो तथ्य सामने आए हैं, वे यह हैं कि शीर्षक विभाजन वाद संख्या 437/2012 वादी-प्रत्यर्थियों द्वारा दायर किया गया है, जिसमें अनुसूचित संपत्ति में एक तिहाई हिस्से की मांग की गई है और प्लीडर किमश्नर द्वारा अलग-अलग तख्त बनाने के लिए अपने हिस्से पर कब्जा करने के लिए और 1974 के 1971/46 के शीर्षक वाद सं. 21 में पारित 16.03.1979 के समझौते के आदेश को दरिकनार करने के लिए प्रारंभिक आदेश दिया गया है। राम किशन सिंह वादी और प्रतिवादियों के समान पूर्वज हैं। राम किशन सिंह के बेटों के बीच संपत्ति का विभाजन दिनांक 10.07.1952 के विभाजन के पंजीकृत विलेख के माध्यम से हुआ जिसमें कमला सिंह, जो सरोज सिंह की दादा थीं, वादी नं। 1 को 1/4 हिस्सा मिला और अन्य तीन भाइयों जानकी सिंह, मिथिला सिंह और रामदास सिंह को एकजूट होकर 3/4 हिस्सा मिला और तदनुसार, दलों को अपने-अपने शेयरों का कब्जा मिल गया। इसके बाद, 1968 में एक सौहार्दपूर्ण खिस्ता जानकी सिंह, मिथिला सिंह और रामदास सिंह नाम के एकजुट भाइयों के बीच हर तरह से विभाजन हुआ और उन सभी ने अपने अलग-अलग परिभाषित हिस्से लिए। 1968 के विभाजन के तुरंत बाद, मिथिला सिंह ने अपने भतीजे चंद्रशेखर शर्मा, रामदास सिंह के बेटे, याचिकाकर्ता नं. 1 के पक्ष में उपहार के एक पंजीकृत विलेख के माध्यम से अपने शेयर उपहार में दिए। 1 इसमें, जिन्होंने उपहार स्वीकार किया और इसके अनन्य अधिकार में आ गए। बाद में, 1970 में मिथिला सिंह की अविवाहित और अविवाहित मृत्यु हो गई। हालाँकि, 1971 में जानकी सिंह के बेटे राम सेवन सिंह ने 1971 का शीर्षक मुकदमा संख्या 21 दायर किया, जिसमें उपहार के तहत संपत्तियों सहित संपत्ति में अपने हिस्से की मांग करने वाले उपहार के

पंजीकृत विलेख को चुनौती दी गई, जिसमें कमला सिंह और उनके वंशजों को भी प्रतिवादी बनाया गया था। 1971 के शीर्षक मुकदमा संख्या 21 में सरोज सिंह और उनकी शाखा के सदस्यों ने 18.08.1972 पर एक अलग लिखित बयान दायर किया जिसमें कहा गया है कि श्री राम किशन सिंह के बेटों के बीच दिनांकित 10.07.1952 के एक पंजीकृत विलेख द्वारा सीमा-दर-सीमा विभाजन किया गया है, जिसके द्वारा प्रतिवादी जानकी सिंह, मिथिला सिंह रामदास सिंह की शाखा से अलग हो गए, जो संयुक्त मिताक्षरा परिवार के सदस्यों के रूप में संयुक्त रहे और उस विभाजन द्वारा इन प्रतिवादियों कमला सिंह और अन्य को गाँव भोजपुर जहाँ ये प्रतिवादी अंततः बस गए। इन प्रतिवादियों ने मुकदमे की संपत्ति में किसी भी हिस्से का दावा नहीं किया। हालाँकि, 1974 के आई. डी. 2 के टाइटल सूट नंबर 21 को चुनाव लड़ने वाले दलों के बीच अंतिम डिक्री दिनांक आई. डी. 1 के माध्यम से समझौता किया गया था जिसमें वर्तमान वादी सरोज सिंह, उनके पिता श्याम नंदन सिंह, दादा कमला सिंह और उनके चाचा राम स्वागत सिंह अपने चचेरे भाई अरुण सिंह, राम स्वागत सिंह के बेटे के साथ उनकी ओर से और उनके बच्चों और उत्तराधिकारियों की ओर से समझौते में शामिल हुए। 2012 का स्वामित्व मुकदमा संख्या 437 दाखिल करने के बाद, प्रतिवादी-याचिकाकर्ताओं ने पेश होकर अपना लिखित बयान दायर किया और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XIV नियम 2 (जिसे इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत दिनांक 04.05.2017 की याचिका भी दायर की, जिसमें अनुरोध किया गया कि इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाए जो निम्नानुसार है:-

> "क्या मुकदमे में प्रारंभिक मुद्दे के रूप में मुकदमा और सीमा द्वारा वर्जित है। "

पक्षकारों को सुनने के बाद विद्वत विचारण न्यायालय ने प्रारंभिक मुद्दे के रूप में न्यायिक आधार या सीमा पर मुद्दे को तैयार करने से इनकार कर दिया और उक्त उद्देश्य के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। उक्त आदेश को तत्काल सिविल मिस्क में चुनौती दी गई है। याचिका.

- 03. अवसरों के बावजूद, कोई भी पटना उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित नहीं हुआ। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना गया है।
- 04. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान निचली अदालत का आदेश न्यायिक दिमाग के गैर-अनुप्रयोग से ग्रस्त है क्योंकि कोई वैध कारण नहीं दिया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने कानून के सिद्धांतों पर विचार नहीं किया जिसमें यह प्रावधान है कि यदि कुछ प्रारंभिक मुद्दे उठाए गए हैं, तो पहले उन पर निर्णय लेने की आवश्यकता है और उसके बाद ही मुकदमा आगे बढ़

सकता है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान निचली अदालत ने इस बात पर विचार नहीं किया कि यदि प्रारंभिक मुद्दों को तैयार किया जाता है और पहले निर्णय लिया जाता है, तो यह किसी के लिए या यहां तक कि वादी के लिए भी प्रतिकूल नहीं होगा। विद्वान वकील ने आगे कहा कि वादी सभी कमला सिंह के वंशज हैं और माना जाता है कि कमला सिंह और उनके भाइयों के बीच विभाजन हुआ है और विभाजन को स्वीकार करने वाले पहले के मुकदमें में भी मामले से समझौता किया गया था। अतः वाद की सुनवाई का जारी रहना प्रतिवादियों के लिए अत्यधिक प्रतिकूल है क्योंकि न्यायिक स्थिति और सीमा के आधार पर वाद की गैर-रखरखाव को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जाना चाहिए अन्यथा न्याय की विफलता होगी। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वत निचली अदालत भी इस बात पर विचार करने में विफल रही कि 1952 में विभाजन के बाद, उसी पर कार्रवाई की गई थी और कई 1952 के विभाजन में वादी-प्रत्यर्थियों द्वारा उनके आवंटित हिस्से के अनुसार बिक्री विलेख निष्पादित किए गए थे। यहाँ तक कि 1972 की समझौता डिक्री भी वादी की जानकारी में थी, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से कहा कि उन्हें समझौता डिक्री के बारे में म्यूटेशन अपील संख्या 62/2011-के बाद ही पता चला। 12. इसी तरह, दिनांकित 15.06.1968 उपहार विलेख के बारे में अज्ञानता आश्चर्यजनक है क्योंकि 1971 के शीर्षक सूट संख्या 21 के लिखित बयान में, उन्होंने उपहार की वैधता को मान्यता दी थी। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मामले के तथ्यों से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि वादी का मुकदमा न्यायिक निर्णय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है और साथ ही यह सीमा से प्रभावित है क्योंकि समय वर्जित दावे पर निर्णय लेने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि विवादित आदेश रिकॉर्ड की स्पष्ट त्रुटियों से ग्रस्त है क्योंकि विद्वान निचली अदालत ने देखा है कि मुद्दे पहले ही तैयार किए जा चुके हैं और अदालत किसी भी मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं कर सकती है। लेकिन विद्वत निचली अदालत का रिकॉर्ड मांगा गया था और पिछले अवसर पर एक समन्वय पीठ ने पाया है कि दिनांक 1 के आदेश पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि मामले को प्रस्तावित मुद्दों को दाखिल करने के लिए स्थगित कर दिया गया था और विद्वत जिला न्यायाधीश, पटना की दिनांक 2 की रिपोर्ट से पता चलता है कि मुद्दों को तैयार नहीं किया गया है।

05. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने सुखबीरी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देवी और अन्य बनाम आकाशवाणी में रिपोर्ट किए गए भारत संघ और अन्य 2022 एस. सी. 5058, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सीमा के मुद्दे को तैयार किया जा सकता है और संहिता के आदेश 14 नियम 2 (2) (बी) के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, जहां इसे स्वीकार किए गए तथ्यों पर निर्णय लिया जा सकता है। एस. रामचंद्र के मामले में राव

बनाम नागभूषण राव और अन्य ने 2023 में रिपोर्ट किया (1) बी. एल. जे. एस. सी. 109, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः –

"10. पूर्ववर्ती पैराग्राफ में जिस पर ध्यान दिया गया है और चर्चा की गई है, उसके लिए यह शायद ही संदेह का विषय है कि न्यायपालिका का सिद्धांत न्यायशास्त्र की प्रत्येक सुव्यवस्थित प्रणाली के लिए मौलिक है, क्योंकि यह सार्वजनिक नीति के विचार पर आधारित है कि न्यायिक निर्णय को सही के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को एक ही तरह के मुकदमें से दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। रेज़ जुडिकाटा का यह सिद्धांत न केवल अलग-अलग बाद की कार्यवाही में बल्कि उसी कार्यवाही के बाद के चरण में भी आकर्षित होता है। इसके अलावा, एक बाध्यकारी निर्णय को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और यहां तक कि एक गलत निर्णय भी एक ही मुकदमे के पक्षकारों पर बाध्यकारी रहता है और यदि सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसी मुद्दे से संबंधित होता है। ऐसा बाध्यकारी निर्णय को प्रति इनक्यूरियम के सिद्धांत पर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सिद्धांत पूर्ववर्ती पर लागू होता है न कि सिद्धांत पर। "

उक्त निर्णय को विद्वान वकील द्वारा रेस जुडिकाटा के सिद्धांत के महत्व को रेखांकित करने के लिए संदर्भित किया गया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने सबसे पहले माणिक लाल के मामले में इस अदालत के एक फैसले का उल्लेख किया मेरहतिया बनाम बैजनाथ प्रसाद सोनी ने 1966 में बी. एल. जे. आर. 1x की सूचना दी। लंबे मुकदमें से बचने के लिए मुकदमें की कानूनी मुद्दा होने की स्थिरता से संबंधित मुद्दे को पहले प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। विद्वान वकील ने आगे राम संजीवन सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। भोला प्रसाद ठाकुर और अन्य, बी. एल. जे. 1990 (1) 161 में रिपोर्ट किए गए, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा (उस समय उनके अधिपति के रूप में) ने विद्वत विचारण न्यायालय के आदेश की पृष्टि की जब विचारण न्यायालय ने न्यायिक निर्णय के मुद्दे को तैयार किया और यहां तक कि इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय

करने का प्रयास किया, लेकिन पक्षकारों के नेतृत्व में साक्ष्य के बिना न्यायिक निर्णय के जटिल प्रश्न का निर्णय लेने में विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा सामना की जा रही कठिनाई के कारण, इसने न्यायिक निर्णय के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि न्यायिक निर्णय के मुद्दे को तैयार किया जा सकता है और प्रारंभिक मुद्दा।

06. यद्यपि प्रतिवादियों की ओर से कोई भी इस न्यायालय को संबोधित करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन जवाबी हलफनामा पहले दायर किया गया है, जिसके तहत यह प्रस्तुत किया गया है कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि सीमा और न्यायपालिका कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है और इस कारण से, 31.05.2018 का विवादित आदेश कानून की नजर में वैध, कानूनी और उचित आदेश है। दस्तावेजों और पक्षों की दलीलों की उचित जांच के बाद 2012 के शीर्षक मुकदमा संख्या 437 में 07.04.2017 पर मुद्दों का निपटारा किया गया है। प्रत्यर्थियों/वादियों ने अपने जवाबी हलफनामे में आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने धोखाधड़ी से 16.03.1979 दिनांकित समझौता डिक्री प्राप्त की और यहां तक कि 10.07.1952 दिनांकित विभाजन का विलेख भी मनगढ़ंत, अवैध और अप्रभावी और दिखावटी दस्तावेज था और वादी और उनके पूर्वजों पर बाध्यकारी नहीं है। वादी/प्रत्यर्थियों को 1971 के स्वामित्व विभाजन वाद सं. 21 की जानकारी तब मिली जब याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थियों के खिलाफ डी. सी. एल. आर., मसौढ़ी के समक्ष उत्परिवर्तन अपील सं. 62/2011-12 दायर की है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने अपनी अपील में कहा है कि उन्हें 1971 के स्वामित्व वाद सं. 21 में पारित डिक्री से प्रश्नगत संपत्ति मिली है। कमला सिंह की शादी महासो कुर @नवलगन कुर से हुई थी। महासो कुर को अपने पिता से 25 बीघा जमीन मिली जो उनकी केवल दो बेटियाँ थीं और महासो की दूसरी बहन की अविवाहित मृत्यु हो गई। प्रत्यर्थियों ने 10.07.1952 दिनांकित विभाजन विलेख से इनकार करते हुए कहा कि उक्त विभाजन विलेख जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज था और यह याचिकाकर्ताओं के पूर्वजों द्वारा एक दूसरे के साथ मिलीभगत और साजिश में बनाया गया था। कमला सिंह और उनके बेटों और पोतों को कोई जानकारी नहीं थी और कमला सिंह, उनके बेटे और पोते विभाजन विलेख के निष्पादन में शामिल नहीं हुए। विभाजन विलेख में कमला सिंह के हिस्से में दिखाई गई संपत्तियां चार भाइयों की संयुक्त संपत्ति नहीं थीं, बल्कि वे उनकी पत्नी महासो कुर की संपत्तियां थीं और तीन भाइयों के हिस्से में दिखाई गई संपत्तियां अभी भी चारों भाइयों की संयुक्त पारिवारिक पैतृक संपत्ति हैं। 1971 के स्वामित्व वाद सं. 21 की दलीलों में विभाजन विलेख दिनांक 10.07.1952 के बारे में कोई दावा नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा दस्तावेजों को दबाने और दिखाने के लिए एक-दूसरे के साथ साजिश के तहत कथित मुकदमा दायर किया गया है। प्रतिवादी संख्यओ 1 और 4 नाबालिगों के रूप में लेकिन नाबालिगों के हितों की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए और संहिता के आदेश 32 नियम 3 (4) के तहत प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। धोखाधड़ी से प्राप्त समझौता डिक्री उत्तरदाताओं पर बाध्यकारी नहीं है। न्यायपालिका की कोई सीमा नहीं है और इसका कोई सवाल ही नहीं है और इन मुद्दों का फैसला 2012 के स्वामित्व वाद सं. 437 के अभिवचनों के अनुसार। इसके अलावा, सीमा ज्ञान की तारीख से चलती है और सीमा और न्याय संबंधी प्रश्न कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न हैं। इस प्रकार, प्रत्यर्थियों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया, दिनांकित 31.05.2018 के आदेश के अनुसार कानून और तथ्य के प्रश्न होने के कारण, न्यायपालिका और सीमा के मुद्दों को पूर्ण जांच और परीक्षण के बाद तय किया जाना चाहिए और प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। उत्तरदाताओं ने 15.06.1968 दिनांकित उपहार के निष्पादन से भी इनकार किया है। उत्तरदाताओं ने 10.08.1972 दिनांकित लिखित बयान दाखिल करने से भी इनकार किया है। प्रत्यर्थियों ने आगे कहा है कि यह कहना गलत था कि वर्तमान मुकदमे की विषय वस्तु को 1952 में पहले ही वादी और प्रतिवादियों के बीच विभाजित कर दिया गया था। इस बात से भी इनकार किया गया कि 1952 के विभाजन के बाद दोनों पक्षों द्वारा कई लेन-देन किए गए और उनमें से किसी पर भी कभी आपत्ति नहीं की गई। प्रत्यर्थियों ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने मूल दस्तावेज, अर्थात् विभाजन विलेख दिनांक 10.07.1952,1914 का उपहार विलेख और 1928 का 'रेहान' विलेख दाखिल नहीं किया। यह भी दोहराया गया है कि यह एक स्थापित कानून है कि सीमा और न्यायपालिका तथ्यों और कानून के मिश्रित प्रश्न हैं जो अभिवचनों पर आधारित हैं और इसका निर्णय केवल पूर्ण परीक्षण में ही किया जाएगा, न कि प्रारंभिक मुद्दे के रूप में संहिता के आदेश 14 (2) के तहत याचिका। प्रत्यर्थियों ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने विद्वान उप न्यायाधीश-॥, पटना के एकपक्षीय समझौता डिक्री दिनांक 16.03.1979 के आधार पर अपने अधिकार और कब्जे की घोषणा के लिए 2012 का शीर्षक मुकदमा संख्या 619 दायर किया है और उक्त मुकदमे पर विद्वान उप न्यायाधीश-VIII, पटना द्वारा दिनांकित 14.07.2016 आदेश के माध्यम से रोक लगा दी गई है। इस प्रकार, प्रत्यर्थियों ने प्रस्तुत किया है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने कानून और वर्तमान सिविल मिस्क के क्षेत्र के भीतर आदेश पारित किया। याचिका को सीमित रूप से खारिज किया जाना चाहिए।

07. प्रतिद्वंद्वी की प्रस्तुति और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में विचार के लिए जो संक्षिप्त बिंदु उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या न्यायपालिका और सीमा के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तैयार किया जाना चाहिए था और पहले निर्णय लिया जाना चाहिए था। इसके अलावा कुछ तथ्यात्मक अशुद्धियों को भी आरोपित क्रम में इंगित किया गया है ताकि यह दिखाया जा

सके कि विवादित आदेश पूरी तरह से दिमाग के गैर-अनुप्रयोग में पारित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि प्रारंभिक मुद्दा केवल कानून का मुद्दा हो सकता है जिसके लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, संहिता के आदेश 14 नियम 2 में अदालत को सभी मुद्दों पर निर्णय देने का आदेश दिया गया है। आदेश 14 नियम 2 निम्नानुसार है:-

- 2. **अदालत सभी पर फैसला सुनाएगी** -- (1) इसके बावजूद कि प्रश्नगत प्रारंभिक मुद्दे पर किसी मामले का निपटारा किया जा सकता है, न्यायालय, उपनियम (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाएगा।
- (2) जहां एक ही वाद में विधि और तथ्य दोनों के मुद्दे उत्पन्न होते हैं और न्यायालय की राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि के मुद्दे पर किया जा सकता है, तो वह पहले उस मुद्दे का परीक्षण कर सकता है यदि मुद्दा
 - (क) न्यायालय की अधिकारिता, या
 - (ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा बनाए गए वाद पर रोक,

और उस उद्देश्य के लिए, यदि वह उचित समझता है, तो अन्य मुद्दों के निपटारे को तब तक स्थगित कर सकता है जब तक कि उस मुद्दे का निर्धारण नहीं हो जाता है, और उस मुद्दे पर निर्णय के अनुसार मुकदमें से निपट सकता है। "

जाहिरा तौर पर, अदालत की यह राय होने के बाद कि मामले या उसके किसी भी हिस्से को केवल कानून के मुद्दे के रूप में निपटाया जा सकता है, वह कोशिश कर सकती है कि पहले यदि वह मुद्दा अदालत की अधिकारिता से संबंधित है या मुकदमे के लिए एक बार किसी भी कानून द्वारा बनाया गया था जो अभी लागू है। इस प्रकार प्रारंभिक मुद्दे को तैयार करना अदालत की ओर से पूरी तरह से विवेकाधीन है और अदालत केवल कानून के एक बिंदु पर प्रारंभिक मुद्दा। अब मामले के तथ्यों पर वापस आते हैं। सिविल मिस्क में कहीं भी कोई कथन नहीं है। याचिका या निवेदन में और याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क के दौरान भी कोई विवाद नहीं कि उसके द्वारा उठाए गए मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जाना केवल कानून का मुद्दा है। प्रतिवादियों के रूप में याचिकाकर्ताओं ने मुकदमे की स्थिरता पर इस आधार पर

मुद्दा उठाया कि इसे न्यायिक आधार के सिद्धांतों के तहत प्रतिबंधित किया गया था क्योंकि मुकदमे की संपत्तियों को पहले ही विभाजित कर दिया गया था और इस बिंदु पर वादी द्वारा स्वीकार किया गया था। हालाँकि, जवाबी हलफनामे में वादी/उत्तरदाताओं द्वारा इस आशय के सभी दावों का खंडन किया गया है। इसी तरह, वादी/उत्तरदाताओं द्वारा विभाजन विलेख या समझौता डिक्री के निष्पादन के बारे में जानकारी से भी इनकार किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि वादी की ओर से शिकायत दायर करने के समय कुछ स्वीकार किए गए थे। यदि वादी कुछ तथ्यों पर मामला स्थापित करते हैं और प्रतिवादियों द्वारा इसका खंडन किया जाता है, तो जाहिर है कि यह परीक्षण योग्य मुद्दों को जन्म देगा जिनके लिए पक्षों को इन मुद्दों पर अपने साक्ष्य का नेतृत्व करने की आवश्यकता होगी। एक बार जब कुछ मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए साक्ष्य की आवश्यकता होती है, तो इसे कभी भी प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं उठाया जा सकता है और पहले संबंधित अदालत द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। सत्यनाथ और एन. आर. वी.सरोजमणि ने (2022) 7 एस. सी. सी. में रिपोर्ट किया 644 निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

"17. रमेश बी. देसाई [रमेश बी. देसाई बनाम बिपिन वाडिलाल मेहता, (2006) 5 एस. सी. सी. 638] मामले में इस अदालत ने कहा कि एस. एस. खन्ना [एस. एस. खन्ना बनाम एफ. जे. डिलन, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 497] <u>में प्रतिपादित</u> सिद्धांत अभी भी सही हैं और संहिता अदालत को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में कानून और तथ्य के मिश्रित मुद्दों पर मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती है और जहां मुद्दे पर निर्णय तथ्य के प्रश्न पर निर्भर करता है, वहां इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं चलाया जा सकता है। उक्त निष्कर्ष आदेश 14 नियम 2 खंड (ए) और (बी) के प्रावधान से उत्पन्न होता है। संशोधन के बाद, अदालत को अदालत की अधिकारिता से संबंधित मुद्दे का परीक्षण करने के लिए उप-नियम (2) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "मई" द्वारा विवेकाधिकार दिया गया है, यानी कि क्षेत्रीय और आर्थिक अधिकार क्षेत्र, या किसी भी कानून द्वारा बनाए गए मुकदमे पर रोक जो उस समय लागू है, यानी दीवानी अदालत के समक्ष मुकदमा दायर करने पर रोक जैसे कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और विशेष रूप से भूमि सुधारों से संबंधित कई अन्य कानूनों के तहत। इसलिए, यदि आदेश 14 नियम 2 को आदेश 12 नियम 5 के साथ पढ़ा जाता है, तो अदालत से सभी मुद्दों पर एक साथ निर्णय लेने की उम्मीद की जाती है, जब तक कि अदालत की अधिकारिता का अवरोध या उप-नियम (2) खंड (ए) और (बी) के संदर्भ में वाद पर प्रतिबंध न उठे। नियम 2 को प्रतिस्थापित करने का इरादा एक ऐसे प्रश्न पर एल. आई. एस. का त्वरित निपटान है जो या तो अदालत के अधिकार क्षेत्र को हटा देता है या वादी को दीवानी अदालत के समक्ष मुकदमा करने से रोकता है।

18. हम यह बता सकते हैं कि संहिता में संलग्न पहली अनुसूची में दीवानी अदालत। ऐसी प्रक्रिया न्याय की सहायक है जैसा कि इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसे अमरजीत सिंह कालरा बनाम प्रमोद गुप्ता [अमरजीत सिंह कालरा बनाम प्रमोद गुप्ता, (2003) 3 एस. सी. सी. 272] के रूप में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें यह निम्नानुसार देखा गया थाः(एस. सी. सी. पी. 300, पैरा 26)

"26. प्रक्रिया के कानून प्रभावी ढंग से विनियमित करने, पर्याप्त और वास्तविक न्याय करने के उद्देश्य की सहायता और सहायता करने के लिए हैं और व्यक्तिगत, संपत्ति और अन्य कानूनों के तहत नागरिक के पर्याप्त अधिकारों के गुण-दोष पर निर्णय को भी पूर्ववत करने के लिए नहीं हैं। प्रक्रिया को हमेशा न्याय की सहायक के रूप में देखा गया है और इसका उद्देश्य न्याय के उद्देश्य में बाधा डालना या न्याय की विफलता को पवित्र करना नहीं है।"

19. कैलाश बनाम नन्हकू [कैलाश बनाम नन्हकू, (2005) 4 एस. सी. सी. 480] के रूप में रिपोर्ट किए गए एक बाद के फैसले में तीन—न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि प्रक्रिया के सभी नियम न्याय के सहायक हैं। प्रक्रियात्मक कानून के प्रारूपक द्वारा नियोजित भाषा उदार या कठोर हो सकती है लेकिन प्रक्रिया निर्धारित करने का उद्देश्य न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः(एस. सी. सी पी.495, पैरा 28–29)

"28. प्रक्रिया के सभी नियम न्याय की दासी हैं। प्रक्रियात्मक कानून के प्रारूपक द्वारा नियोजित भाषा उदार या कठोर हो सकती है, लेकिन तथ्य यह है कि प्रक्रिया निर्धारित करने का उद्देश्य न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है। एक प्रतिकूल प्रणाली में, किसी भी पक्ष को सामान्य रूप से न्याय वितरण की प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जब तक कानून की स्पष्ट और विशिष्ट भाषा द्वारा मजबूर नहीं किया जाता है, तब तक सी. पी. सी. या किसी अन्य प्रक्रियात्मक अधिनियम के प्रावधानों का इस तरह से अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए जिससे अदालत न्याय के उद्देश्यों में असाधारण स्थितियों का सामना करना। कृष्ण अय्यर, जे. द्वारा सुशील कुमार सेन बनाम बिहार राज्य [सुशील कुमार सेन बनाम बिहार राज्य, (1975) 1 एस. सी. सी. 774] में की गई टिप्पणियां प्रासंगिक हैं:(एस. सी. सी पी.777, पैरा 5–6)

'5.... कानून के हाथों न्याय की मृत्यु एक न्यायाधीश की अंतरात्मा को परेशान करती है और कानून सुधारक पर क्रोधित पूछताछ की ओर इशारा करती है। 6. प्रिक्रियात्मक कानून कुछ प्रणालियों में इस तरह हावी है कि मूल अधिकारों और पर्याप्त न्याय पर हावी हो जाता है। मानवतावादी नियम कि प्रक्रिया कानूनी न्याय की दासी होनी चाहिए, न कि मालिकन, न्यायाधीशों को एक अविशष्ट शक्ति सौंपने पर विचार करने के लिए मजबूर करता है तािक वे पूर्व –ऋण न्यायसंगत कार्य कर सकें, जहां दुखद अगली कड़ी अन्यथा पूरी तरह से असमान होगी। ... न्याय न्यायशास्त्र का लक्ष्य है – प्रक्रियात्मक, उतना ही मूल। '

29. पंजाब राज्य बनाम शामलाल मुरारी [पंजाब राज्य बनाम शामलाल मुरारी, (1976) 1 एस. सी. सी. 719:1976 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 118] न्यायालय ने पूर्ण निर्देशों में मध्यस्थता के दृष्टिकोण को बिना किसी स्पष्ट शब्दों में अनुमोदित किया जिसे इस सिद्धांत पर अनिवार्य माना जाता है कि:(एस. सी. सी. पी. 720)

'प्रक्रियात्मक कानून एक अत्याचारी नहीं बल्कि एक सेवक होना है, एक बाधा नहीं बल्कि न्याय के लिए एक सहायता है। प्रक्रियात्मक प्रिस्क्रिप्शन नौकरानी हैं न कि मालकिन, एक स्नेहक, न्याय के प्रशासन में प्रतिरोधी नहीं हैं। '

घनश्याम दास बनाम भारत अधिराज्य [घनश्याम दास बनाम भारत अधिराज्य, (1984) 3 एस. सी. सी. 46] में न्यायालय ने केवल प्रक्रिया से निपटने वाले विशेषण कानून के एक हिस्से की व्याख्या इस तरह से करने की आवश्यकता को दोहराया कि न्याय के कारण को कम करने और आगे बढ़ाने के लिए इसे सभी प्रक्रिया के नियम इस सिद्धांत पर आधारित हैं। "

(जोर देने के लिए रेखांकित किया गया)

08. नुस्ली के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नेविल वाडिया बनाम आइवरी प्रॉपर्टीज (2020) 6 एस. सी. सी. में रिपोर्ट की गई 557, अनुच्छेद-52 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:-

"52. किसी मामले में, सीमा के प्रश्न का निर्णय स्वीकृत तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है, इसे आदेश 14 नियम 2 (2) (बी) के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जा सकता है। एक बार सीमा के बारे में तथ्य विवादित हो जाने के बाद, सीमा के प्रश्न का निर्धारण भी आदेश 14 नियम 2 (2) के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में या कानून के किसी अन्य ऐसे मुद्दे के रूप में नहीं किया जा सकता है जिसके लिए विवादित तथ्यों की जांच की आवश्यकता होती है। तथ्यों के बारे में विवाद के मामले में, कानून के प्रश्न पर निष्कर्ष देने के लिए दृढ़ संकल्प होना आवश्यक है। इस तरह के प्रश्न को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। एक मामले में, कानून का प्रश्न तथ्यों की जांच के परिणाम पर निर्भर करता है, कानून के ऐसे प्रश्न को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है, या तो सी. पी. सी. के संशोधन से पहले और वर्ष 1976 में संशोधन के बाद कानून के प्रस्ताव का निपटारा किया जाता है। "

(रेखांकित करें)

इसलिए, कानून के ऐसे मुद्दे, जिसमें विवादित तथ्यों की जांच की आवश्यकता होती है, को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। **नुस्ली नेविल वाडिया** (उपरोक्त) के मामले से यह स्पष्ट है कि संहिता के आदेश 14 नियम 2 (2) के तहत याचिकाकर्ता चुनौती दे सकते हैं और अदालत अदालत की अधिकारिता के बारे में कानून के सवाल या किसी भी कानून द्वारा मुकदमे के लिए बनाए गए बार का

फैसला कर सकती है, जैसे कि सीमा अधिनियम के तहत। अदालत ने आगे कहा कि एक बार सीमा के बारे में तथ्य विवादित हो जाने के बाद, सीमा के प्रश्न का निर्धारण भी आदेश 14 नियम 2 (2) के तहत प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं किया जा सकता है या कानून का कोई अन्य ऐसा मुद्दा जिसमें विवादित तथ्यों की जांच की आवश्यकता होती है, कानून के प्रश्न पर निष्कर्ष देने के लिए निर्धारित किया जाना आवश्यक है। इस तरह के प्रश्न को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है। अदालत ने आगे कहा कि एक मामले में अधिकार क्षेत्र का सवाल उन तथ्यों के प्रमाण पर भी निर्भर करता है जो विवादित हैं और कानून के सवाल को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया जा सकता है, या तो सी. पी. सी. के संशोधन से पहले और वर्ष 1976 में संशोधन के बाद कानून का समाधान प्रस्ताव है।

09. हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वत निचली अदालत ने दिनांक 31.05.2018 के विवादित आदेश में दर्ज किया है कि मुद्दों को तैयार नहीं किया गया है, जबिक बाद में दिनांक 05.03.2019 के आदेश में आदेश 6 नियम 17 के तहत दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि मुद्दों को अभी तक तैयार नहीं किया गया है और पक्षों को प्रस्तावित मुद्दा दायर करने का निर्देश दिया गया था और वही आदेश 2–3 तारीखों को जारी रखा गया था।

10. तथ्यों और परिस्थितियों और ऊपर की गई चर्चा के आलोक में, मेरी यह सुविचारित राय है कि विद्वान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि विद्वत निचली अदालत ने तुटि का कोई भी अधिकार क्षेत्र किया जब उसने संहिता के आदेश 14 नियम 2 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया तािक न्यायपालिका और सीमा के संबंध में प्रारंभिक मुद्दे को तैयार किया जा सके और निर्णय लिया जा सके। हालाँिक, विद्वत विचारण न्यायालय का आकस्मिक दृष्टिकोण काफी निराशाजनक है और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि अब तक एक तुटि की गई है क्योंिक एक निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि मुद्दों को पहले ही सुलझा लिया गया है, हालांिक बाद के आदेशों से पता चलता है कि मुद्दों को अभी तक सुलझाया नहीं गया है। यह तथ्य स्वयं वर्तमान मामले के अंतिम परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा क्योंिक मैंने पहले ही अपने निष्कर्ष को दर्ज कर लिया है कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, न्याय और सीमा के प्रश्न को कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न के रूप में माना जाना चाहिए, न कि केवल कानून का प्रश्न। हालाँिक, विद्वत विचारण न्यायालय को अभिलेखों की जाँच करने और मुद्दों के निपटारे के संबंध में आदेश पत्र में आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया जाता है क्योंिक आदेश पत्रों से दो अलग–अलग संस्करण सामने आ रहे हैं। विद्वत विचारण न्यायाधीश के इस तरह के आकस्मिक दृष्टिकोण की निंदा की जानी चाहिए।

11. ऊपर की गई चर्चा के आलोक में, जहां तक दिनांकित 31.05.2018 आदेश के गुण-दोष का संबंध है, मुझे कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं मिलती है और इसलिए, मुद्दों के समाधान/प्रारूपण के बारे में तथ्य का उल्लेख करने में विसंगति।

12. उपरोक्त अवलोकन के साथ, तत्काल सिविल विविध। याचिका खारिज की जाती है।

13. हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। विद्वत विचारण न्यायालय इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले में आगे बढ़ेगा।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

डीकेएस/-

खंडन (डिस्क्लेमर) – स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।